मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पंजीकरण दिनॉक:	निर्णय दिनॉक:	अवधि:
07/31/18	02/26/20	1 वर्ष, 6 माह, 26 दिन
माह/दिनॉक/वर्ष	माह/दिनॉक/वर्ष	

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

एम.ए.सी.पी.संख्या–293/2018

1. श्रीमती अहिल्या पटेल पत्नी स्वर्गीय उमेश पटेल उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम तिलैरा अक्सेव थाना लहचूरा जिला झांसी उ.प्र.
2. मुस्कान पटेल पुत्री स्वर्गीय उमेश पटेल उम्र लगभग 13 वर्ष
3. अश्मित पटेल पुत्र स्वर्गीय उमेश पटेल उम्र लगभग 10 वर्ष
4. बृजेंद्र कुमार पुत्र सुल्ले उम्र लगभग 58 वर्ष
5. श्रीमती कस्तूरी बाई पत्नी बृजेंद्र कुमार उम्र 55 वर्ष

नाबालिगान जरिए संरक्षिका मां श्रीमती अहिल्या पटेल
निवासी गण ग्राम तिलैरा अक्सेव थाना लहचूरा जिला झांसी उ.प्र.

––––––––याचीगण
(अधिवक्ता श्री बलवीर पाली)

प्रति

1. पुष्पेंद्र पटेरिया पुत्र राकेश कुमार पटैरिया निवासी एस.डी. पब्लिक स्कूल बरौला सेक्टर 49 गौतम बुद्ध नगर नोएडा उ.प्र.

.....मालिक व चालक वैगन आर कार संख्या UP 16 ET 4781

2. दि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जरिए शाखा प्रबंधक इलाइट टॉकीज के पीछे सिविल लाइन झांसी

.....बीमा कर्ता वैगन आर कार संख्या UP 16 ET 4781

––––––प्रतिवादी गण
(अधिवक्ता श्री शशिभूषण कनकने)

निर्णय

प्रस्तुत याचिका मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में याचीगण के पति, पिता पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण विपक्षीगण के विरूद्ध ₹92,50,000/– क्षतिपूर्ति मय याचिक प्रस्तुत करने के दिनॉक से 12% ब्याज व खर्चा मुकदमा हेतु प्रस्तुत की गयी है।

2. याचिका के अनुसार संक्षेप में प्रकरण यह है कि उमेश पटेल दिनॉक 21.06.2018 समय 5:30 बजे शाम अपनी पत्नी अहिल्या व पुत्र असमित पटेल के साथ मोटरसाइकिल नंबर UP 93AZ 4756 (**प्रथम वाहन**) से अपनी साइड से धीमी गति से आ रहे थे। जैसे ही वह रेवन वगलन पेट्रोल पंप के पास पहुंचे कि उसी समय मऊरानीपुर की तरफ से एक सफेद रंग की कार जिसके आगे नंबर प्लेट पर जिला प्रभारी विश्व हिंदू महासंघ झाँसी व कार संख्या UP 16 ET 4781 लिखा था (**द्वितीय वाहन**) का चालक कार को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और उमेश पटेल की मोटरसाइकिल में तेजी व लापरवाही से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उमेश पटेल को काफी गंभीर चोटें आईं व अहिल्या पटेल को दोनों पैर व शरीर में गंभीर चोटें आईं। असमित को भी गंभीर चोटे आईं। सभी को अस्पताल लाया गया जहां उमेश पटेल को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक राजकीय इंटर कॉलेज गुरसराय में चपरासी के पद पर तैनात था जिससे वह ₹30,000 प्रतिमाह कमाता था जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था।

citations hyperlinked

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.08.13 15:50:16 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

3. विपक्षी सं. 1 पर तमीला पर्याप्त होने के पश्चात भी जवाब दावा दाखिल नहीं किया गया है।

4. विपक्षी सं. 2 की ओर से 27B जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि कार संख्या UP 16 ET 4781 से कोई दुर्घटना नहीं हुयी है। याची का पति अपनी मोटरसाइकिल UP 93AZ 4756 बहुत तेजी व लापरवाही से चला रहा था तथा रास्ते में एक जानवर आ जाने के कारण अपनी मोटरसाइकिल तेजगति के कारण संभाल नहीं सका, उसकी मोटरसाइकिल स्लिप होकर रोड किनारे खंती में गिर गई जिससे मृत्यु हुई। यदि कार के चालक के पास दुर्घटना के समय वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स व बीमा होना नहीं पाया जाता हैं तो इस आधार पर याचीगण कोई क्षतिपूर्ति राशि पाने की अधिकारी नहीं है। यदि यह माना जाता है कि मोटरसाइकिल व कार के मध्य दुर्घटना हुई है तो मोटरसाइकिल चालक की योगदाई उपेक्षा को संज्ञान में लिया जाएगा। विपक्षी बीमा कम्पनी का उत्तरदायित्व बीमा पॉलिसी की शर्तो के अनुसार ही होता है।

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनॉक 11.04.2018 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये–

1. क्या दिनॉक 21.06.2015 को समय शाम करीब 05.30 बजे स्थान ग्राम जागेश्वर पेट्रोल पंप के पास बहद ग्राम रेवन थाना टोड़ीफतेहपुर जिला झाँसी में कार वैगन आर संख्या UP 16 ET 4781 के चालक ने कार को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उमेश कुमार की मोटरसाइकिल नंबर UP 93AZ 4756 से अपनी साइड से आ रहे थे की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल गंभीर रूप से घायल हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई?

2. क्या प्रश्नगत दुर्घटना मोटरसाइकिल चालक की अंशदाई/योगदाई उपेक्षा के कारण घटित हुई?

3. क्या प्रश्नगत दुर्घटना दिनॉक व समय पर कार वैगन आर संख्या UP 16 ET 4781 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था?

4. क्या दुर्घटना दिनॉक समय पर कार वैगन आर संख्या UP 16 ET 4781 विपक्षी संख्या 2 दि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से विधिवत बीमित थी और वाहन का संचालन बीमा शर्तों के अधीन किया जा रहा था?

5. क्या याचीगण विपक्षी गण से प्रतिकार की धनराशि पाने का हकदार है, यदि हॉ तो कितनी व किससे?

6. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं:–

1. याचीगण द्वारा फेहरिस्त 7C1 के माध्यम से 8C1 लगायत 12C1/5 जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, ब्राट प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, परिवार रजिस्टर, अहिल्या पटेल, मुस्कान पटेल, असमित पटेल, बृजेंद्र कुमार व कस्तूरी बाई का आधार कार्ड की छाया प्रतियॉ शामिल हैं,

2. याचीगण द्वारा फेहरिस्त 24C1 के माध्यम से 25C1 लगायत 29C1 जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र व पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सत्यापित प्रतियॉ शामिल हैं तथा मृतक के वेतन के पे–बिल, कार संख्या UP 16 ET 4781 की बीमा पॉलिसी, विपक्षी सं. 1 के ड्राईविंग लाइसेंस, कार संख्या UP 16 ET 4781 का

पंजीयन प्रमाणपत्र, उमेश पटेल के ड्राईविंग लाइसेंस, अहिल्या पटेल के आधार कार्ड की छाया प्रतियॉ शामिल हैं,

3. याची की ओर से 39C1 के माध्यम से 40C1 लगायत 41C1 मृतक उमेश चंद्र पटेल के वेतन के माह मई व जून के पे–बिल की सत्यापित प्रतियॉ शामिल हैं, साथ मे मंजू लता स्वर्णकार प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गुरसराय झांसी के आधार कार्ड की छाया प्रति प्रपत्र संख्या 42C1 भी प्रस्तुत की है,

4. विपक्षी सं. 2 की ओर से फेहरिस्त 44C1 के माध्यम से कार संख्या UP 16 ET 4781 की बीमा पॉलिसी की सत्यापित प्रति 45C1 व 45C1/2 शामिल हैं।

5. याची की ओर से मौखिक साक्ष्य में PW1 के रूप में याचिया श्रीमती अहिल्या पटेल, एवं PW2 के रूप में आरोपपत्र के साक्षी नेपाल सिंह पुत्र जयराम एवं PW3 के रूप में मंजू लता स्वर्णकार प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गुरसराय झांसी को परीक्षित कराया गया है,

6. विपक्षी सं. 2 की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में अरुण थापर DW1 को परीक्षित कराया गया है। अन्य कोई साक्ष्य किसी और से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. मैंने उभयपक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

8. <u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1 व 2</u>

वाद बिन्दु संख्या 1 व 2 के सम्बन्ध में चक्षुदर्शी PW2 व PW1 जो आरोप पत्र के भी गवाह है ने याचिका के कथनों का समर्थन किया है। PW1 जो कि मृतक की पत्नी है और जो मृतक के साथ मोटरसाइकिल पर यात्रा कर रही थी ने मुख्य परीक्षा में कार चालक की तेजी व लापरवाही के कारण दुर्घटना होना बताया है तथा परिवार का आश्रित होना बताया है। प्रति परीक्षा में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना आमने–सामने की है। वैगनआर गाड़ी का टायर फट गया था और गाड़ी आगे जाकर रुक गई ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया था। वह घटनास्थल पर बेहोश हो गई थी स्वयं कहा कि 5 मिनट बाद बेहोश हो गई थी उस 5 मिनट मैं आंखों के सामने अंधेरा छा गया था उसके बाद अस्पताल में होश आया अस्पताल उसके उसके जीजा नेपाल सिंह भी साथ गए थे। उसने टक्कर लगने से 2 मिनट पहले टक्कर मारने वाले गाड़ी का नंबर देख लिया था टक्कर लगने से पहले मोबाइल का नंबर नोट कर दिया था वैगनआर गाड़ी का टायर फट गया था और गाड़ी आगे जाकर रुक गई ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया था। उसने दुर्घटना के बाद तुरंत अपने जीजा नेपाल सिंह को फोन किया वह तुरंत मौके पर 2 मिनट में आ गए कुछ समय बाद आ गए घटनास्थल से नेपाल सिंह का घर 20 किलोमीटर दूर है। PW2 ने भी प्रति परीक्षा में कार का टायर फटना बजाया है। मोटरसाइकिल की स्पीड 40–50 व कार की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे बताई है। दोनों साक्षी की प्रति परीक्षा में कुछ अस्वाभाविक बातें अवश्य हैं जैसे PW1 का यह कहना कि वह घटनास्थल पर बेहोश हो गई थी, 5 मिनट बाद बेहोश हो गई थी, उस 5 मिनट में आंखों के सामने अंधेरा छा गया था उसके बाद अस्पताल में होश आया। उसने टक्कर लगने से 2 मिनट पहले टक्कर मारने वाले गाड़ी का नंबर देख लिया था। टक्कर लगने से पहले मोबाइल मे नंबर नोट कर दिया था। किंतु वे इस प्रकार की नहीं है जिससे कि दुर्घटना पर संदेह किया जा सके। दुर्घटना तथा कार संख्या UP 16 ET 4781 के चालक द्वारा कार को तेजी व लापरवाही से चला कर दुर्घटना कारित किए जाने पर चालक पुष्पेंद्र पटेरिया के विरुद्ध पुलिस द्वारा आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। दुर्घटना की नक्शा नजरी से भी कार चालक की संपूर्ण लापरवाही स्पष्ट होती है। नक्शा नजरी निम्न प्रकार है–

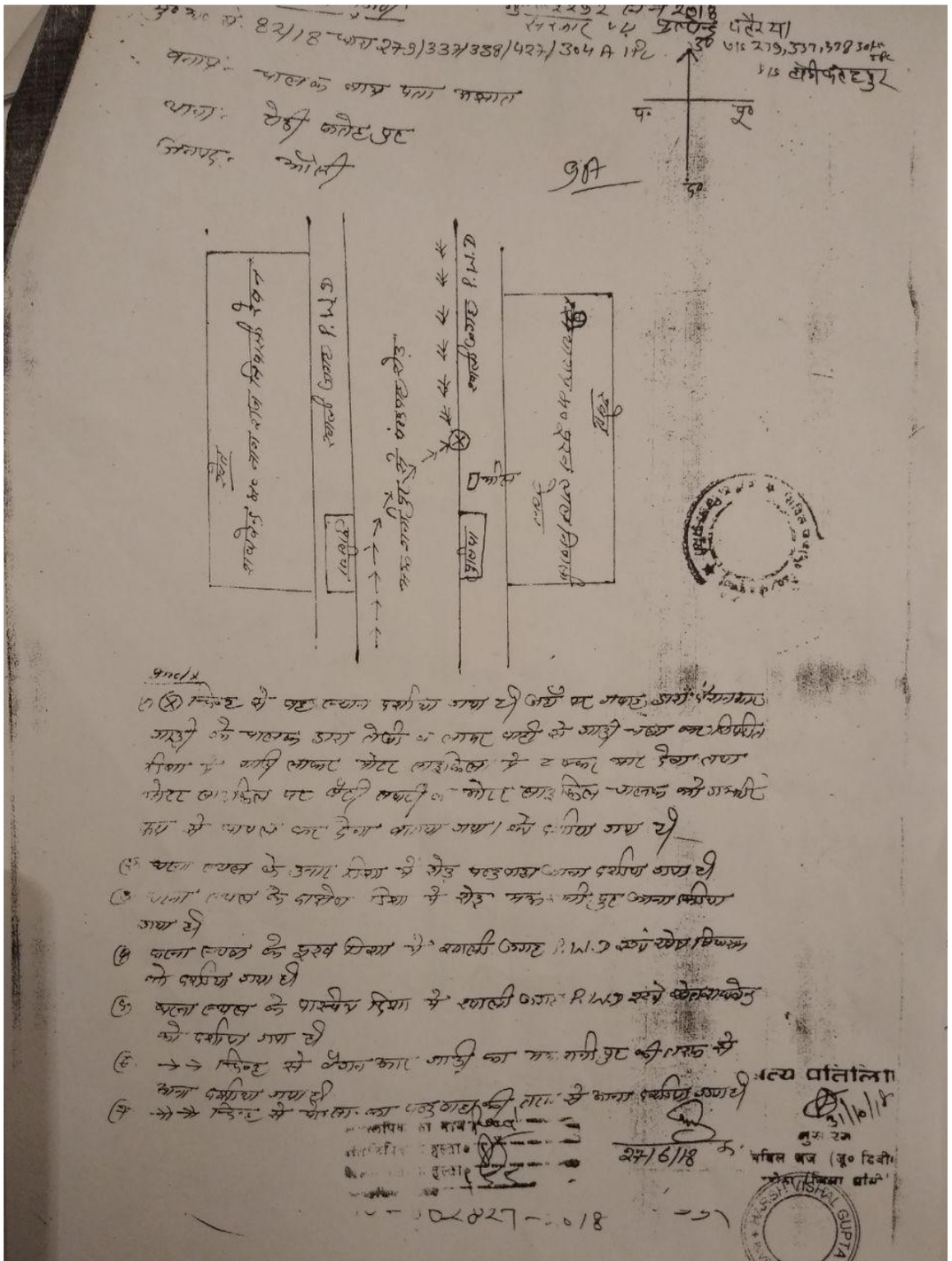

उक्त नक्शा नजरी के अनुसार कार अप्रत्याशित रूप से अपने दाहिने ओर मुड़ी है और यह स्थिति मोटरसाइकिल के चालक के लिए हैरान कर देने वाली थी। मोटरसाइकिल की गति 40–50 किलोमीटर प्रति घंटे होने पर भी मोटरसाइकिल चालक द्वारा इस दुर्घटना को बचाया जाना संभव नहीं था। यदि कार का टायर फट जाता है तो सामान्यतया तीन कारणों से ऐसा होता है। पहला कि टायर पुराना व कमजोर हो और दूसरा कि टायर के पहिए में हवा अधिक हो और कार लंबी दूरी से तेजी व लापरवाही से चलाये जाने के कारण गर्म होने पर फट जाए और तीसरी यह कि तेजी से व उपेक्षा पूर्वक कार चलाए जाने पर कार का पहिया तेज गति से किसी बड़ी नुकीली वस्तु या पत्थर आदि से टकरा। तीनों स्थितियों पर नियंत्रण की जिम्मेदारी कार चालक की ही थी। कार मोटरसाइकिल के मुकाबले बड़ा वाहन है। बड़े वाहन को चलाते वक्त अधिक सतर्कता की अपेक्षा होती है। उसे अपनी गति पर इतना नियंत्रण रखना चाहिए कि यदि आकस्मिकता में टायर फटता है

तो वह अपने वाहन को नियंत्रित कर सके। टायर फटने पर तेज गति से चल रहे वाहन पर नियंत्रण कर पाना कठिन काम है किंतु यदि वाहन कम गति से चल रहा है तो उसे अवश्य नियंत्रित किया जा सकता है। विपक्षी संख्या 1 की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह माना जा सके की दुर्घटना में उसकी उपेक्षा किसी भी प्रकार से कम थी। कार का फिटनेस का कोई साक्ष्य पत्रावली पर विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। विवेचना अधिकारी ने भी कार चालक के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया है, अतः मैं इस मत का हूं कि इस प्रकरण में पूर्ण उपेक्षा कार चालक की थी इसमें मोटरसाइकिल चालक की कोई योगदाई उपेक्षा नहीं थी। तदनुसार वाद बिंदु संख्या एक सकारात्मक रूप से तथा वाद बिंदु संख्या दो नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

9. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर प्रपत्र सं. 29C1 कार चालक पुष्पेंद्र पटेरिया पुत्र राकेश कुमार की चालन अनुज्ञप्ति की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार चालक दिनॉक 09.05.2013 से 31.05.2020 तक ट्रांसपोर्ट वाहन तथा दिनॉक 09.05.2013 से 08.05.2033 तक नान ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए अनुज्ञप्त है। इस अनुज्ञप्ति का खंडन बीमा कम्पनी द्वारा नही किया जा सका है। घटना दिनॉक 21.06.2018 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कार संख्या UP 16 ET 4781 के चालक के चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था। अत: वाद बिन्दु सं. 3 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

10. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर कई प्रपत्र प्रस्तुत किए गए हैं जिनमे से मात्र प्रपत्र सं. 45C1/1 व 45C1/1 ही पठनीय है। इनके अनुसार कार संख्या UP 16 ET 4781 का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया गया है जिसके सत्यापन प्रमाण पत्र के अनुसार बीमा दिनॉक 12.06.2017 से 11.06.2018 तक प्रभावी है। इस पॉलिसी का खंडन बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। दुर्घटना दिनॉक 21.06.2018 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पॉलिसी दुर्घटना के बाद मे प्रभावी हुई है। DW1 ने भी उसी बात को प्रमाणित किया है। अत: वाद बिन्दु सं. 2 नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

11. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 5</u>

चूंकि दुर्घटना कार संख्या UP 16 ET 4781 के चालक पुष्पेंद्र पटेरिया विपक्षी सं. 1 की लापरवाही के कारण हुई है और दुर्घटना के समय कार बीमित नही थी अतः क्षतिपूर्ति की का दायित्व पुष्पेंद्र पटेरिया विपक्षी सं. 1 का बनता है।

12. <u>क्षतिपूर्ति की गणना–</u>

PW3 मंजूलता स्वर्णकार राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गुरसराय जिला झाँसी की प्रधानाचार्य है और मृतक इसी कॉलेज में चपरासी के पद पर कार्यरत था। PW3 ने इन तथ्यों की पुष्टि करते हुए यह कथन किया है कि मृतक परिचालक के पद पर थे। PW3 ने मृतक के वेतन से संबंधित प्रपत्र 40C1 ता 41C1/3 साबित किए हैं तथा यह भी कथन किया है कि अप्रैल माह का कुल वेतन ₹26,584 था वेतन से 2689 रुपए कटौती होकर 23,895 रुपए माह अप्रैल में दिया गया। यही स्थिति मई तथा जून के वेतन के संबंध में दाखिल प्रपत्रों में भी है। प्रति परीक्षा से ऐसा कोई तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है जिससे इस साक्षी की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता हो। ₹26,584 मे से GIS घटाने पर ₹26,584 मासिक आती है। ₹2,50,000 टैक्स छूट पर ₹6781 इनकम टैक्स बनता है। इस प्रकार मृतक की वार्षिक आय ₹3,11,027 आती है।

13. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मे मृतक की आयु करीब 36 वर्ष अंकित है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयु का निश्चायक सबूत नहीं होती है। मृतक के परिवार रजिस्टर व मृतक के चालन अनुज्ञप्ति पर दर्ज मृतक की जन्मतिथि (02/05/1981) के अनुसार मृतक की आयु दुर्घटना के समय 37 वर्ष 1 माह 19 दिन की थी। विधि व्यवस्था National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017 – SC) : MANU/SC/1366/2017 के अनुसार 15 का गुणक, 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए वास्तविक वेतन का 50 % भविष्य मे प्रत्याशा की वृद्धि, मृतक पर चार लोग निर्भर थे अत: स्वयं के खर्च पर 1/4 भाग की कटौती, याचीगण के पति, पिता व पुत्र की मृत्यु के दृष्टिगत संपदा की क्षति के लिए ₹15,000, याचीगण की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत दाह संस्कार के लिए ₹15,000 निर्धारित किये जाते हैं।

वार्षिक आय= आय प्रतिदिन x माह के दिन x वर्ष के माह	0	0	0	311027
भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)			50	155513.5
स्वयं पर खर्च (भाग में)			4	116635.125
स्वयं पर खर्च घटाने पर (गुण्य)				349905.375
गुणक			15	5248580.625
वैवाहिक साहचर्य की क्षति			40000	5288580.625
संपदा की क्षति			15000	5303580.625
अंतिम संस्कार पर खर्च			15000	5318580.625
प्रथम वाहन की योगदायी उपेक्षा (प्रतिशत में)			0	**0**
द्वितीय वाहन की योगदायी उपेक्षा (प्रतिशत में)			100	**5318580.625**
कुल देय क्षतिपूर्ति			100	**5318580.625**

इस प्रकार क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि ₹53,18,581 आती है। विधि व्यवस्था National Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019 - SC) : MANU/SC/0589/2019 के आलोक मे 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। याची सं. 1, 2, 3 व 4 के मध्य क्षतिपूर्ति की धनराशि क्रमश: 20, 30, 30, 10, 10 प्रतिशत भाग का बंटवारा न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था Jai Prakash vs. National Insurance Co. Ltd. and Ors. (17.12.2009 - SC) : MANU/SC/1949/2009 के आलोक मे क्षतिपूर्ति धनराशि की सावधि जमा से प्रत्येक माह ब्याज प्राप्त करने की योजना बनाया जाना भी न्यायोचित होगा।

आदेश

याची की याचिका विपक्षी सं. 1 पुष्पेंद्र पटेरिया के विरुद्ध आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति धनराशि **₹53,18,581/– (तिरपन लाख अटठारह हजार पॉच सौ इक्क्यासी**) मय 7.5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए स्वीकार की जाती है। याची सं. 1, 2, 3, 4 क्षतिपूर्ति की धनराशि का क्रमश: 20, 30, 30, 10, 10 प्रतिशत भाग प्राप्त करेंगे। याची सं. 1, 4 व 5 की धनराशि का 80% भाग सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा मे 5 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे रखे जांएगे जिसका प्रतिमाह ब्याज वह प्राप्त करती रहेंगी। याची सं. 4 व 5 की धनराशि का 80% भाग सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा मे 3 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे रखे जांएगे जिसका प्रतिमाह ब्याज वह प्राप्त करते रहेंगे। याची सं. 2 व 3 की समस्त धनराशि सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा मे उनके वयस्क होने तक के

लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे रखे जांएगे जिसका प्रतिमाह ब्याज वह अपनी मॉ के माध्यम से प्राप्त करते रहेंगे। याचीगण की इच्छा पर सावधि की परिपक्वता के पश्चात धनराशि पुनर्निवेशित की जा सकेगी। खर्चा मुकदमा पक्षकार स्वयं वहन करेंगें। विपक्षी सं. 1 को आदेशित किया जाता है कि वह याची को निर्णय के दिनॉक से 30 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान कर दें।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनॉक 26.02.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनॉक 26.02.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

MACT JHANSI